रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 1971/आश्विन 16, 1893
No. 159] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 1971/ASVINA 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 8th October 1971

SUBJECT.—*Import of Fresh fruits all sorts, excluding coconuts, cashewnuts and dates [S. No. 21(a)(i)/IV] from Afghanistan during 1st August, 1971 to 31st October, 1971, by approved importers and exporters of non-traditional items to Afghanistan.*

No. 136-ITC(PN)/71.—Attention is invited to paragraph 19 of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC(PN)/71, dated 31st July, 1971, relating to "penalty for non-fulfilment of export obligation". It has been decided that the responsibility of fulfilling the export obligation rests with not only the approved importer, but also the transferee, to whom an approved importer may have transferred any import credits. Accordingly, the second sentence in paragraph 19, reading as follows:

> "It will be the responsibility of each approved importer to satisfy the licensing authority concerned by documentary evidence that he has fulfilled his export obligation in the required proportion in respect of the imports against the CCPs obtained by him."

may be deemed to have been substituted by the following:—

"It shall be the responsibility of an approved importer to satisfy the licensing authority concerned and the Reserve Bank of India, by acceptable documentary evidence that he has fulfilled the export obligation in the prescribed ratio in respect of his total imports, irrespective of the fact whether such imports were retained by him or transferred to others. Also, a person, who acquires by transfer, any imports from an approved importer, but does not fulfil the export obligation in the required proportion in respect of such imports, will be equally liable to action under the Import/Export control regulations."

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1971

विषय.—1 अगस्त, 1971 से 31 अक्तूबर, 1971 तक की अवधि के दौरान अफगानिस्तान के लिए गैर परम्परागत मदों के अनुमोदित आयातकों और निर्यातकों द्वारा अफगानिस्तान से नारियल, काजू और खजूरों [क्रम सं० 21(ए)(i)/4] को छोड़ कर सभी किस्म के ताजे फलों का आयात।

सं० 136-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—"निर्यात दायित्व के न पूरा करने के लिए जुर्माना" के सम्बन्ध में जारी की गई विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 93-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 31 जुलाई, 1971 की कंडिका 19 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इस बात का निश्चय किया गया है, कि निर्यात दायित्व को पूरा करने की जिम्मेदारी केवल अनुमोदित आयतकों की ही नहीं है अपितु उन हस्तान्तरी की भी होगी जिन्हे अनुमोदित आयातकों ने आयात साख हस्तान्तर किए हों। तदनुसार कंडिका 19 में दूसरी पंक्ति जो इस प्रकार पढ़ी जाती है:—

"प्रत्येक अनुमोदित आयातक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके उन्हे संतुष्ट करें कि उसके द्वारा प्राप्त किए गए सीमा-शुल्क निकासी परमिटों के विपरीत आयात के सम्बन्ध में उसने अपेक्षित अनुपात में निर्यात दायित्व को पूरा किया है।"

इसे निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए:—

"अनुमोदित आयातक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी और रिजर्व बैंक आफ इंडिया को सवीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके उन्हें संतुष्ट करें कि उसने अपने कुल आयात के संबंध में निर्धारित अनुपात में निर्यात दायित्व पूरा कर लिया है इसके लिए उसे इस बात का विचार नहीं करना चाहिए कि ऐसे आयात उसके द्वारा धारण किए

गए थे या किसी अन्य को हस्तान्तर कर दिए गए थे। वह व्यक्ति जो अनुमोदित आयातक द्वारा किसी किस्म का आयात हस्तान्तरण द्वारा प्राप्त करता है, किन्तु ऐसे आयात के सम्बन्ध में अपेक्षित अनुपात में निर्यात दायित्व पूरा नहीं करता है तो आयात/निर्यात नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत उसके विपरीत कार्रवाई के लिए भी उसे बराबर जिम्मेदार ठहराया जाएगा।"

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971